

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

1. अपील संख्या: 01/2022

जीसीएमएस संख्या: 2022/9

निर्णय दिनांक:- 09-04-2025

1. लक्ष्मणसिंह पुत्र रघूसिंह जाति राजपूत निवासी गंगापुра तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

—अपीलांत

—बनाम—



1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बज्जू।
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय माणकासर जरिये प्राधानाध्यापक।
—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 16-12-2021
उपखण्ड अधिकारी, बज्जू

2. अपील संख्या: 02/2022

जीसीएमएस संख्या: 2022/10

निर्णय दिनांक:-

1. लक्ष्मणसिंह पुत्र रघूसिंह जाति राजपूत निवासी गंगापुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

—अपीलांत

—बनाम—

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बज्जू।
2. पशु चिकित्सालय माणकासर, जरिये प्रभारी।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 29-11-2021
उपखण्ड अधिकारी, बज्जू


राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उपस्थित:-

1. श्री राजेश बैद, श्री रणजीत सिंह निर्वाण अभिभाषक अपीलांट
2. श्री जयचंदलाल सारस्वत, अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट 2
3. श्री मिलापचन्द धत्तरवाल, राजकीय, अभिभाषक

-निर्णय-

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, बज्जू के आदेश दिनांक 29-11-2021 एवं 16-12-2021 जिसके द्वारा अदालत मातहत द्वारा कानून के प्रावधानों के विरुद्ध पशु चिकित्सालय एवं खेल मैदान हेतु भूमि आरक्षित किये जाने के आदेश प्रदान किये गये हैं, के विरुद्ध इस न्यायालय में भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।



विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रस्तुत दोनों अपीलों में समान पक्षकार होने तथा समान बिन्दु होने के कारण दोनों अपीलों का निर्णय एक साथ लिखवाया जा रहा है। निर्णय की एक-एक प्रति दोनों पत्रावलियों में संरक्षित रखी जावे।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट ने बतौर भूमिहीन श्रेणी भूमि आवंटन हेतु आवंटन अधिकारी के समक्ष पत्रावली पेश की थी जिस पर आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट को चक 11 डीओबीबी के मुख्या नम्बर 238/18 व मुख्या नम्बर 238/19 की कुल तादादी 44 बीघा अनकमाण्ड भूमि आवंटित कर दी गई कालान्तर में अपीलांट को आवंटित भूमि किशतों के अभाव में दिनांक 23-12-1998 को अपीलांट का आवंटन निरस्त कर दिया गया। आवंटन अधिकारी के खारिज आदेश के विरुद्ध अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की गई जिस पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 15-07-2016 को आवंटन अधिकारी का खारिजी आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया कि अपीलांट को आवंटित रकबा अन्य को आवंटन नहीं किया गया हो तो अपीलांट से दो माह में कोई बकाया किशतें हो तो जमा करवा कर रकबा बहाल किया जावे। दिनांक 15-07-2016 से अपीलांट की रिमाण्ड पत्रावली



राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

आदिनांक तक अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन था मगर अपीलाधीन आदेश से अदालत मातहत से वादगत भूमि चक 11 डीओबीबी के मुरब्बा नम्बर 238/19 के किला नम्बर 2 ता 9 व 15 की 9 बीघा भूमि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय माणकासर के खेल मैदान एवं चक 11 डीओबीबी के मुरब्बा नम्बर 238/19 के किला नम्बर 1 की 1 बीघा भूमि पशु चिकित्सालय माणकासर के लिए आवंटित कर दी गई। अधीनस्थ न्यायालय ने खेल मैदान एवं पशु चिकित्सालय हेतु जो भूमि आवंटन की है वो अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया है क्योंकि उक्त प्रायोजन हेतु भूमि आवंटन अथवा सेट अपार्ट करने की शक्ति जिला कलेक्टर को होती है। ग्राम पंचायत माणकासर में पूर्व से ही खेल मैदान उपलब्ध होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर गौर किये बिना एक और खेल मैदान स्वीकृत कर दिया है साथ ही जो खेल मैदान स्वीकृत किया गया है वो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से 4 मुरब्बे की दूरी पर स्थित है।



उन्होंने आगे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय को उक्त धारा के तहत मात्र आबादी विस्तार के अधिकार हासिल है ना कि अन्य किसी प्रयोजनाथ भूमि आरक्षित/सेटअपार्ट करने के अधिकार प्रदान किये गये हैं। जबकि उक्त आदेश पारित करने से पूर्व अपीलाट्स को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। आदेश जैर अपील स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व ग्राम पंचायत की भौगोलिक परिस्थिति पर कतई गौर नहीं किया गया है। अतः अपीलाट्स की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट्स ने सर्वप्रथम अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाट्स को अपील प्रस्तुत करने की लोकस स्टेण्डाई प्राप्त नहीं है। आदेश जैर अपील के माध्यम से जिस भूमि को खेल मैदान एवं राजकीय पशु चिकित्सालय स्वीकृत किया गया है, उक्त भूमि से अपीलाट्स का कोई सरोकार नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलाट्स की अपील लोकस स्टेण्डाई के बिन्दु पर ही खारिज फरमाई जावे।


राजस्थान उच्च न्यायालय
बीकानेर

विद्वान अभिभाषक रेस्पोजेण्डेन्ट्स ने गुणावगुण पर बहस करते हुए कथन किया कि वादगत भूमि से अपीलांट किसी प्रकार हितबद्ध पक्षकार नहीं है। आवंटन अधिकारी द्वारा दिनांक 27-01-1984 को वादगत भूमि चक 11 डीओबीबी के मुरब्बा नम्बर 238/18 एवं मुरब्बा नम्बर 238/19 की तादादी 44 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था मगर अपीलांट द्वारा आवंटित भूमि की किश्तें जमा नहीं करवाने के कारण दिनांक 23-12-1998 को उक्त आवंटन को खारिज कर दिया गया। उसके पश्चात अपीलांट का आज तक रिकॉर्ड में नाम दर्ज नहीं हुआ है। उक्त आदेश दिनांक 23-12-1998 की अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 15-07-2016 को खारिजी आदेश निरस्त करते हुए अपीलांट की पत्रावली सशर्त रिमाण्ड की गई कि यदि वादगत भूमि किसी अन्य को आवंटित नहीं हुई हो तो अपीलांट से बकाया किश्तें जमा करवाई जावे। मगर उससे पूर्व ही यह रकबा किसी अन्य व्यक्ति खींयाराम पुत्र केशुराम को आवंटित हो चुका था। उसके पश्चात खींयाराम पुत्र केशुराम ने भी वादगत भूमि के विकल्प में अन्यत्र भूमि की मांग किये जाने पर आवंटन अधिकारी द्वारा अन्यत्र भूमि प्रदान कर दी गई। अतः वादगत भूमि से ना तो अपीलांट का कोई सरोकार है तथा ना ही अन्य आवंटी खींयाराम पुत्र केशुराम का है।



उन्होंने आगे कथन किया कि वादगत भूमि शुद्ध रूप से अराजीराज होने पर तथा तहसील स्तर से समस्त चैकलिस्ट में रिपोर्ट प्राप्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 एवं राजस्व ग्रुप-3 विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.2(379)राज/ग्रुप-3/81 दिनांक 01-06-1983 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेशों से वादगत भूमि खेल मैदान एवं राजकीय पशु चिकित्सालय द्वारा सेट अपार्ट की है। जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।


राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर ✖

6. हस्तगत प्रकरण में अपीलांट के पक्ष में अपीलाधीन अराजी का आवंटन दिनांक 23-12-1998 को खारिज कर दिया गया था। अपीलाधीन अराजी राजस्व रिकोर्ड में अराजीराज दर्ज कर दी गई थी इसके विरुद्ध अपीलांट द्वारा वर्ष 2016 में अपील प्रस्तुत करने पर प्रकरण इस शर्त के साथ रिमाण्ड किया गया था कि आवंटित रकबा अन्य को आवंटित न हो तो 2 माह में किश्तें जमा करवाने पर रकबा बहाल किया जावे। यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलीय न्यायालय के रिमाण्ड आदेश दिनांक 15-07-2016 से पूर्व यह रकबा अन्य व्यक्ति खीयाराम पुत्र केशुराम को आवंटित की जा चुकी थी।



अपीलाधीन आदेशों द्वारा यह अपीलाधीन भूमि पशु चिकित्सालय एवं खेल मैदान हेतु सेट अपार्ट की गई। प्रभारी अधिकारी द्वारा भूमि आवंटन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर एवं संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति व्यक्त किये जाने पर दिनांक 29-11-2021 को अपीलाधीन अराजी पशु चिकित्सालय एवं दिनांक 16-12-2021 के द्वारा खेल मैदान हेतु सेट अपार्ट की गई थी। चूंकि सेट अपार्ट की तारीख को अपीलाधीन अराजी राजकीय भूमि थी एवं व्यापक जन हित के उद्देश्य से इस सेट अपार्ट की गई थी। पत्रावली पर उपलब्ध भूमि आवंटन चैक लिस्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि सेट-अपार्ट के समय इस अपीलाधीन अराजी पर कोई भी व्यक्ति/अपीलांट अतिक्रमी की हैसियत से भी काबिज नहीं था तथा पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह साबित हो कि वादगत भूमि पर अपीलांट काबिज काश्त है।

अपीलांट अपीलाधीन अराजी का खातेदार काश्तकार नहीं है। ना ही अपीलाधीन अराजी पर उसका कब्जा होना प्रकट होता है। अपीलांट का आवंटन भी वर्ष 1998 में खारिज हो चुका है, अपीलाधीन अराजी व्यापक जन हित एवं राजकीय प्रयोजनार्थ सेट अपार्ट की गई है। उक्त बिन्दुओं के मध्यनजर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाई जाती है।


7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील सारहीन पाये जाने पर खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, बज्जू का आदेश दिनांक 29-11-2021 एवं आदेश दिनांक


राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

16-12-2021 यथावत बहाल रखा जाता है साथ ही न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15-07-2016 की पालना में अधीनस्थ न्यायालय नियमानुसार आगामी कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है।

8. निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 09-04-2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।




(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्थान अपील अधिकारी
बीकानेर